# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 24/2017 निगरानी

1. रामनारायण पुत्र हरबक्श
2. रामसहाय पुत्र सेवा
3. श्योराम पुत्र रूपा
4. भगवान सहाय पुत्र गोविन्दा
5. रंगलाल पुत्र घासीलाल

समस्त जाति मीना निवासी पालुन्दा ढाणी मूंजपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

निगरानीकर्तागण

बनाम

1. श्री किशनलाल पुत्र रामनाथ
2. नरसी पुत्र रामनाथ
3. नन्दा पुत्र रामनाथ

समस्त जाति मीना निवासी पालुन्दा ढाणी मूंजपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

4. ग्राम पंचायत पालुन्दा पं0स0 लालसोट द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत पालुन्दा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

गैरनिगरानीकर्तागण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 रा0 पं0 रा0 अधिनियम विरूद्ध प्रस्ताव सं0 3 ग्राम पंचायत पालुन्दा प0स0 लालसोट दिनांक 6.11.2017 जिसके अनुसार विपक्षीगण सं0 1 लगायत 3 के नाम आबादी भूमि से प्रश्नगत पट्टा सं0 4752 दिनांक 28.11.2017 को प्रचलित किया गया है।

उपस्थिति : श्री ब्रजमोहन गौड अधिवक्ता निगरानीकर्तागण।
: श्री एच0एन0 माठा अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता 1 लगा0 4 उपस्थित ।

—:निर्णय:—

दिनांक: 11 .9.2018

संक्षिप्त में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से है कि पक्षकारगण प्रकरण ग्राम पालुन्दा ढाणी मूंजपुरा के निवासीयान है। पक्षकारान एवं अन्य सहभागीदारान के कृषि भूमियों के बीच आराजी खसरा नं0 50 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा गैरमुमकिन आबादी की भूमि स्थित है। जिसमे पक्षकारगण एवं अन्य सहखातेदारान के रिहायशी मकानात आम पशुबाडा एवं कुछ पक्के मकान बने हुये है। यह भूमि पक्षकारगण एवं अन्य सहखातेदारी की आबादी भूमि है। ग्राम पंचायत पालुन्दा द्वारा पूर्व में निगरानीकर्तागण के पूर्वजो के नाम पट्टे दिये जा चुके है। उक्त आबादी भूमि में जिस पर निगरानीकर्तागण का कब्जा है का पट्टा विपक्षी सं0 4 सरपंच ग्राम पंचायत पालुन्दा द्वारा प्रस्ताव सं0 3 द्वारा विपक्षीगण सं0 1 लगा0 3 के नाम सामलाती तौर पर पूर्व पश्चिम 80 फीट लम्बाई एवं उत्तर दक्षिण 33 फीट 6 इंच चौडाई प्रस्ताव सं0 3 दिनांक 6.11.2017 के अनुरूप, प्रस्ताव सं0 4 दिनांक

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

निल के अनुरूप इसी माप का विपक्षी सं0 3 नन्दाराम के नाम पृथकशः व प्रस्ताव सं0 4 दिनांक निल द्वारा विपक्षी सं0 2 नरसी के नाम पूर्व पश्चिम 70 फीट लम्बाई तथा उत्तर दक्षिण 38 फीट चौडाई का तथा प्रस्ताव सं0 6 दिनांक निल के अनुरूप विपक्षी सं0 1 के नाम पूर्व पश्चिम 70 फीट तथा उत्तर दक्षिण 33 फीट 6 इंच माप के पट्टे दिनांक 28.11.2017 को प्रचलित फरमा दिये गये है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा सं. 4752 दिनांक 28.11.2017 के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैर निगरानीकारान की तलबी की गई तथा ग्राम पंचायत पालुन्दा का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकर्तागण द्वारा बहस के दौरान निगरानी के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रश्नगत पट्टे को देखते ही ज्ञात होता है कि इसमे कोई प्रविष्टिया नहीं की गई है। वर्ष 1974 से निगरानीकर्तागण का कब्जा रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टाधारियों का कब्जा किस आधार पर मान लिया गया है, यह स्पष्ट नहीं है। प्रश्नगत आबादी भूमि जिसमें चार हिस्से है तथा निगरानीकार अपने–अपने हक एवं हिस्से पर आबाद है। ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकारान की पट्टेशुदा भूमि को निरस्त किये बिना किसी अन्य को पट्टा किस प्रकार से दे सकती है। इस प्रकार गैरनिगरानीकार सं. 01 लगा. 03 को जारी पट्टे विधि विरूद्ध होने के कारण से निरस्त योग्य हैं। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता गैर निगरानीकारान द्वारा निवेदन किया गया की गैरनिगरानीकार सं. 01 लगा. 03 को जारी प्रश्नगत पट्टे राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के नियमों की पूर्ण पालना करते हुए दिये गये हैं। पट्टा प्राप्त करने हेतु नियमुनसार प्रार्थना पत्र पंचायत में दिया गया तथा जिस पर नियमानुसार पट्टा फीस की रसीद काटी गई है। तीन वार्ड पंचो की मौका निरीक्षण कमेटी गठित की गई हैं एव विधिवत् आपत्ति नोटिस जारी किया गया था। गवाहान के आबादी भूमि के कब्जे सम्बन्धित बयान लिये गये एवं ग्राम पंचायत की मिटिंग में पट्टा देने का निर्णय कर विधिवत् पट्टा जारी किया गया है। जिस आबादी भूमि पर अप्रार्थी का वर्षो पुराना कब्जा है तथा अप्रार्थी के कच्चे–पक्के घर बने हुए है। इसी भूमि का पट्टा जारी किया गया है। निगरानीकार ने जो पट्टे पेश किये है। वह पट्टे की फोटो स्टेट कॉपी है। जो कानूनन पढने योग्य नही है। दूसरी बात पट्टे उस जगह के नही है जहां अप्रार्थी के पट्टे बनाये गये है। निगरानीकर्ता पिछले 40 वर्षो से ग्राम पालून्दा में निवास नही कर रहे है। वे कुन्तलवास में पक्के मकान बनाकर निवास कर रहे है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे बनाते समय आपत्ति नोटिस जारी किया था। जिस पर किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति पेश नही की गई। जबकी अगर कोई पट्टे निगरानीकार के पास हो तो आपत्ति पेश करनी चाहिए थी। जो नही की गई। निगरानीकर्ताओ ने जो पट्टे पेश किये है वह सभी निःशुल्क पट्टे है। निःशुल्क पट्टो के बारे में प्रावधान है की पट्टा भूमि पर एक वर्ष में निर्माण होना चाहिए अन्यथा निःशुल्क पट्टा निरस्त समझा जायेगा। निगरानीकर्ताओ ने रंजिशवश निगरनी पेश की है। अतः निगरानी खारिज फरमायी जावे।

अति0 जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से निगरनीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत पट्टा भूमि एवं ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकार सं. 01 लगा. 03 को जारी पट्टा से सम्बन्धित पट्टा भूमि में समानता नही दिखाई देती है। ग्राम पंचायत पालून्दा से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकार सं. 01 लगा. 03 को प्रश्नगत पट्टा सं. 4752 दिनांक 28.11.2017 विधिवत् जारी किया गया हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत पट्टा सं. 4752 दिनांक 28.11.2017 ग्राम पालून्दा के विरूद्ध निगरानीकर्ताओ द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

( राजवीर सिंह चौधरी )
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 11.09.2018 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

( राजवीर सिंह चौधरी )
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official